झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/पी॰एम॰सी॰(कार्य)–82/2010–11....................../ राँची, दिनांक:......................./

–: संकल्प :–

विषय : झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाईटी (झारवाटर) संस्था के आम सभा के अध्यक्ष के रूप में विभागीय मंत्री को नामित करने तथा सोसाईटी के General Body में विभागीय मंत्री द्वारा मनोनीत दो विधायकों को सम्मिलित करने के संबंध में।

2. झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाईटी (झारवाटर) का गठन परामर्शी परिषद् की बैठक दिनांक 06.03.2013 के मद सं॰–07 एवं दिनांक 26.03.2013 के मद सं॰–07 में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में विभागीय संकल्प सं॰–2245 दिनांक 15.04.2013 द्वारा किया गया है। झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाईटी (झारवाटर) का निबंधन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन 1860, एक्ट–21 के तहत् दिनांक 17.06.2013 को किया गया है।

3. संगम अनुच्छेद एवं समझौता ज्ञापन पत्र झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाईटी (परिशिष्ट–I) के अनुच्छेद–33 (i) एवं अनुच्छेद 16 (ख) के आलोक में झारवाटर संस्था के General Body (आम सभा) संरचना में निम्नांकित संशोधन किया गया है।

(i) झारवाटर के General Body (आम सभा) के अध्यक्ष विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार के बदले माननीय विभागीय मंत्री होंगे।

(ii) झारवाटर के General Body (आम सभा) के उपाध्यक्ष विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार एवं प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार होंगे।

(iii) झारवाटर के General Body (आम सभा) अंतर्गत पूर्व में नामित सदस्यों के अतिरिक्त माननीय मंत्री (जल संसाधन) द्वारा मनोनीत दो विधायक सदस्य होंगे।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेशित किया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में किया जाय एवं इसकी प्रति झारखण्ड सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/ प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त एवं संबंधित पदाधिकारियों को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु॰–यथोक्त (परिशिष्ट–I)।

ह॰/–

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र॰)

D:\PRAMOD-III\J.SEC\Jhar Water\Sansalakep.doc

ज्ञापांक : 03/पी॰एम॰सी॰(कार्य)–82/2010–11......................../रॉची, दिनांकः........................../

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को (सी॰डी॰सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 100 (सौ) प्रतियॉ अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

ह॰/–

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक : 03/पी॰एम॰सी॰(कार्य)–82/2010–11....5778..../रॉची, दिनांकः....29-5-14..../

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव(दो प्रतियों मे)/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि॰, रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबंध निदेशक, झालको, रॉची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07ब॰, 07यो॰ एवं 08ए॰ बी॰ एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/05/14

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)

D:\PRAMOD-III\J.SEC\Jhar Water\Sunsalakep.doc

192

संगम--अनुच्छेद एवं समझौता ज्ञापन पत्र
झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाइटी
(झारवॉटर)

1. सोसाइटी का नाम : झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाइटी (झारवॉटर)
2. निबंधित कार्यालय : सोसाइटी का निबंधित कार्यालय अस्थायी रूप से जल संसाधन विभाग, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची--834002 में अवस्थित होगा।
3. प्रवर्तन क्षेत्र : झारखण्ड।
4. उद्देश्य : चूँकि राज्य में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जल संसाधन विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीमों के प्रोत्साहन, समन्वयन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के निमित्त झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाइटी (झारवॉटर) नामक एक स्वायत्त संगठन की स्थापना आवश्यक समझी जा रही है, संप्रति यह निर्णय लिया गया है कि निम्नांकित उद्देश्यों के प्रोत्साहनार्थ एतत्संलग्न विनियमों के अनुसार कार्य करने के लिए झारवॉटर (यहाँ "**सोसाइटी**" के रूप में अभिहित) की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम--XXI, 1860 के अधीन निबंधित एक सोसाइटी के रूप में की जानी चाहिए--

(I.) जल, इसके संग्रहण एवं संरक्षण तंत्र के विषय में समुदाय/कृषकों में जागरूकता पैदा करना एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को सुगम बनाना।

(II.) कमांड क्षेत्र के विकास, चेक बाँध, उद्वह सिंचाई, अन्य जल उपयोग एवं संरक्षण योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, संचालन तथा भविष्य में संधारण में सहभागिता के निमित्त बहुसंख्य ग्रामों में जल उपयोगकर्त्ता संघों (ज॰उ॰सं॰) एवं उनके संघीकृत निकायों को बढ़ावा देना।

(III.) विकेन्द्रीकृत वर्षा जल संग्रहण एवं नालों/घाटों/छोटी नदियों का, इन पर विभिन्न संरचनाओं यथा--शिलाखण्डों से निर्मित चेक बाँध, मिट्टी के चेक बाँध, चिनाई से बने चेक बाँध आदि के निर्माण के माध्यम से, संरक्षण तथा राज्य से बाहर जाने वाले बहाव में उल्लेखनीय कमी लाना।

(IV.) उपयुक्त उपाय करके कमी वाले क्षेत्रों में भूमिजल स्तर की अवस्थिति में संवर्धन करना।

(V.) पुराने विद्यमान जलाशयों एवं लघु सिंचाई अवसंरचनाओं का भारत सरकार की मरम्मत, कायाकल्प तथा पुनःस्थापना (RRR) परियोजना अथवा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) अथवा तत्समान परियोजनाओं के माध्यम से कायाकल्प करना।

(VI.) सिंचाई एवं घरेलू प्रक्षेत्रों में जल के प्रति--इकाई मान में संवर्धन करना तथा जल--उपयोग में कुशलता लाना।

(VII.) झारखण्ड में जल प्रक्षेत्र के लिए काम करने एवं योगदान करने हेतु हितधारकों (गैर--सरकारी संगठन, अनुसंधान एवं संसाधन संस्थाएँ इत्यादि) में तालमेल स्थापित करना।

5. **प्रारम्भ होने की तारीख :** ये नियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिस तारीख को झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाइटी (झारवॉटर) का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–XXI, 1860 के अधीन निबंधन होगा।

6. **परिभाषाएँ :**

''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है सोसाइटी के सामान्य निकाय का अध्यक्ष।

''चार्टर्ड एकाउंटेंट'' से अभिप्रेत है चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऐक्ट–1949 में परिभाषित चार्टर्ड एकाउंटेंट।

''मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

''कार्यकारिणी समिति (का.स.)'' से अभिप्रेत है वह निकाय जिसे सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति के रूप में गठित किया गया है।

''सामान्य निकाय (सा.नि.)'' से अभिप्रेत है वह निकाय जिसे सोसाइटी के सामान्य निकाय के रूप में गठित किया गया है।

''भारत सरकार'' से अभिप्रेत है भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय एवं विभाग।

''झारखण्ड सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

''गैर सरकारी संगठन'' से अभिप्रेत है गैर सरकारी संगठन।

''पदाधिकारी एवं कर्मचारिवृन्द'' से अभिप्रेत है एतदर्थ विधिवत् प्राधिकृत प्राधिकार अथवा पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत रीति से नियुक्त सोसाइटी के पूर्णकालिक एवं अंशकालिक कर्मी एवं इसमें परामर्शी, फेलो एवं अनुसंधान कर्मचारिवृन्द भी सम्मिलित होंगे।

''सोसाइटी'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास सोसाइटी (झारवॉटर)।

''राज्य कार्यक्रम प्रबंधक'' से अभिप्रेत है सोसाइटी का कार्यक्रम प्रबंधक।

7. **प्रबंधन :**

सोसाइटी का प्रवर्त्तन एवं प्रबंधन इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप सोसाइटी के सामान्य निकाय द्वारा सम्पादित किया जायेगा। सोसाइटी ऐसी सभी गतिविधियों को हाथ में लेगी अथवा उन्हें कर्मचारिवृन्द को प्रत्यायोजित करेगी जो सोसाइटी के अभिकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं।

8. सोसाइटी का सामान्य निकायः

सोसाइटी का सामान्य निकाय निम्नलिखित सदस्यों से बना होगा–

क्रम॰	सदस्यों के नाम	पद
1.	विकास आयुक्त, झारखंड, सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड़ सरकार	उपाध्यक्ष
3.	प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
4.	प्रधान सचिव / सचिव, कृषि एवं गन्ना विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
5.	प्रधान सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण, झारखण्ड सरकार	सदस्य
6.	प्रधान सचिव / सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
7.	प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
8.	प्रधान सचिव / सचिव, राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
9.	विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारवॉटर, झारखण्ड सरकार	सदस्य
10.	अभियंता प्रमुख–I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य
11.	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, राँची	सदस्य
12.	निदेशक, झारखण्ड अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (JSAC), झारखण्ड सरकार	सदस्य
13.	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग (CWC), राँची	सदस्य
14. एवं 15.	विभागाध्यक्ष, असैनिक अभियंत्रण, बी॰आई॰टी॰, मेसरा एवं बी॰आई॰टी॰, सिन्दरी	सदस्य
16. एवं 17.	गैर सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि (सोसाइटी के सामान्य निकाय के अध्यक्ष द्वारा चयनित होने वाले)	सदस्य
18.	संयोजक, राज्यस्तरीय बैंकर समिति (SLBC), राँची	सदस्य

टिप्पणीः अध्यक्ष सोसाइटी के सामान्य निकाय की बैठक में किसी भी विशेष आमंत्रित को निमंत्रित कर सकता है।

9. सदस्यों का कार्यकाल :

(क) अध्यक्ष समेत सामान्य निकाय के सदस्य तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे अपने पद को धारण करते रहेंगे एवं जैसे ही वे ऐसे पद का धारण करना बन्द कर देंगे वैसे ही उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर उनके पद पर आने वाला उनका उत्तराधिकारी सदस्यता की कार्यावधि विषयक शर्तों के अधीन उस तिथि से सदस्य बन जायेगा जिस तिथि को वह नये पद का प्रभार ग्रहण करता है / करती है।

(ख) यदि सामान्य निकाय के ऐसे सदस्य द्वारा धारित पद को समाप्त कर दिया जाता है अथवा भिन्न रूप में नामित कर दिया जाता है अथवा यदि यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि एक व्यक्तिविशेष पदविशेष को धारित करता है अथवा नहीं, तो पद के उत्तराधिकारी अथवा पद को धारण करने वाले पदस्थ पदाधिकारी के विषय में विभाग की विधिवत् प्रमाणीकृत सूचना अन्तिम एवं निर्णायक होगी।

10. नामित सदस्यों का कार्यकाल :

नामित सदस्यों का कार्यकाल सोसाइटी के अध्यक्ष के प्रसादपर्यन्त होगा एवं साधारणतया परियोजना के आयुष्काल तक चलेगी।

11. सदस्यता की समाप्ति :

सामान्य निकाय के सदस्य इसके सदस्य नहीं रहेंगे यदि वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं अथवा त्यागपत्र दे देते हैं अथवा पागल हो जाते हैं अथवा दिवालिया हो जाते हैं अथवा नैतिक भ्रष्टता के किसी दंडनीय अपराध के लिए दंडित हो जाते हैं।

12. सदस्यता से त्यागपत्र :

सोसाइटी के सामान्य निकाय की सदस्यता से दिया गया त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपा जायेगा एवं यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है।

13. नामित श्रेणी में समय–पूर्व रिक्तियाँ :

सामान्य निकाय की नामित श्रेणी की सदस्यता में त्याग पत्र देने अथवा अन्य कारण से उत्पन्न किसी समय–पूर्व रिक्ति को इस प्रकार के मनोनयन के लिए सक्षम प्राधिकार के मनोनयन द्वारा भरा जाएगा एवं इस प्रकार नामित व्यक्ति समय–पूर्व समाप्त सदस्यता के कार्यकाल की शेष बची अवधि के लिए ही पद धारण करेंगे।

14. इस तथ्य के बावजूद कि कोई व्यक्ति अपने पद के कारणस्वरूप सदस्य होने के अन्यथा योग्य है परन्तु वर्त्तमान में सामान्य निकाय का सदस्य नहीं है तथा इस तथ्य के बावजूद कि नियुक्ति नहीं होने के कारण अथवा अन्यथा कोई अन्य रिक्ति अस्तित्व में है, सोसाइटी एवं इसके माध्यम से परियोजना कार्यरत रहेगी। पुनः सोसाइटी अथवा परियोजना का कोई भी कृत्य मात्र ऊपर वर्णित स्थितियों में से किसी एक स्थिति अथवा सामान्य निकाय के किसी सदस्य की नियुक्ति में प्रक्रियागत अथवा अन्यथा त्रुटि होने के कारण अमान्य नहीं किया जाएगा।

15. सामान्य निकाय के कृत्य:

सोसाइटी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य निकायः–

(क) सोसाइटी के कारगर संचालन के लिए समग्र रणनीतिक मार्ग दर्शन एवं निर्देश देगा तथा इस परियोजना एवं राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपी गयी अन्य परियोजनाओं को अवलम्बन प्रदान करने के लिए आवश्यक

सुसंगत परिवर्त्तन लाने में सहायक होगा।

(ख) परियोजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेगा एवं जल संसाधन विभाग के प्रति निष्ठावान् संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी एजेन्सियों एवं व्यक्तियों का सक्रिय जुड़ाव एवं सहभागिता सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता का अनुमोदन प्रदान करेगा।

(ग) प्रशिक्षण एवं जागरूकता–निर्माण एवं अवसंरचनाओं के औपचारिक अथवा अन्यथा सृजन एवं/अथवा उपयोग की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के जुड़ाव के द्वारा जल संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए आधारभूत योजना–निर्माण में कारगर विकेन्द्रीकरण लायेगा।

(घ) परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोगों एवं तृणमूलस्तरीय नेतृत्व का रचनात्मक एवं सहभागी जुड़ाव सुनिश्चित करेगा एवं इस उद्देश्य से औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाओं की स्थापना एवं/अथवा उपयोग करेगा।

(ड.) सोसाइटी की बैलेंसशीट एवं वार्षिक अंकेक्षित लेखा पर विचार करेगा तथा उन्हें अनुमोदित करेगा।

(च) वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा एंव बजट की सम्पुष्टि करेगा।

(छ) परियोजना प्रशासन द्वारा आदेशित विशेष प्रतिवेदनों पर विचार एवं मूल्यांकन करेगा।

(ज) उनके द्वारा प्रायोजित एवं निधि प्रदान की गयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति एवं एतदर्थ आवश्यकताओं के विषय में वित्त प्रदायी एजेन्सियों के मन्तव्यों पर सोसाइटी की ओर से विचार सुनिश्चित करेगा।

(झ) सोसाइटी एवं परियोजना से संबंधित विषयों पर सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला आदि आयोजित करने का परामर्श देगा।

16. सामान्य निकाय की शक्तियाँ:

सामान्य निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:–

(क) सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक गतिविधियाँ हाथ में लेना।

(ख) अपनी सदस्यता को विस्तारित/संशोधित करना, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से।

(ग) समझौता ज्ञापन एवं अन्तर्नियमों तथा इन उप–विधियों में परिवर्द्धन, सुधार एवं संशोधन करना, बशर्त्ते कि ऐसे सभी परिवर्द्धनों, सुधारों अथवा संशोधनों का लक्ष्य राज्य सरकार की पूर्व सहमति से सोसाइटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना होगा।

(घ) सोसाइटी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों तथा अन्य संगठनों की यथावश्यक सहभागिता से विधिवत् शक्तिप्रदत्त प्रशासनिक तंत्र का सृजन।

(ड.) परियोजना एवं/अथवा सोसाइटी के अन्दर शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबंधकीय, प्रशैक्षणिक एवं अन्य पदों का सृजन।

(च) सोसाइटी के कार्यों के संचालन के निमित्त नियमों एवं विनियमों की सम्पुष्टि करना तथा उन्हें

समय--समय पर संशोधित करना।

(छ) किसी भी प्रकार के अनुदान, कोष अथवा दान, प्रतिभूति अथवा किसी प्रकार की सम्पत्ति स्वीकार करने का निर्णय लेना एवं सोसाइटी अथवा परियोजना के उद्देश्यों के अप्रतिकूल किसी भी अभिदान के प्रबंधन का भार लेना एवं स्वीकार करना।

(ज) क्रय, लीज, किराये, विनिमय अथवा अन्य रीति से अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना एवं सोसाइटी तथा परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यथावश्यक किसी भवन अथवा भवनों को रूपान्तरित करना एवं संधारित करना।

(झ) कार्यकारिणी समिति को अथवा किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं प्राधिकारों में से किसी को ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना तथा ऐसे कर्त्तव्यों का दायित्व देना जिन्हें वह उचित समझे।

(ञ) सोसाइटी के वार्षिक अंकेक्षित लेखा सहित वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित करना।

(ट) ऐसी सभी गतिविधियाँ हाथ में लेना तथा ऐसी समितियाँ/नियत कार्य समूह का गठन करना जो सोसाइटी एवं परियोजना के उद्देश्यों को साधने के लिए आवश्यक अथवा प्रासंगिक प्रतीत हों।

(ठ) यदि उचित समझा जाए तो कार्यकारिणी समिति को प्राधिकृत सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

17. सोसाइटी के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ:

सोसाइटी के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ हैं:-

(क) सामान्य निकाय की बैठक बुलाना।

(ख) सामान्य निकाय की अध्यक्षता करना।

(ग) निकाय के सदस्य द्वारा त्याग पत्र समर्पित होने पर उस को स्वीकार करना।

(घ) सोसाइटी द्वारा संबल–प्राप्त परियोजना के सभी पहलुओं की समीक्षा करना।

(ङ.) सोसाइटी के अध्यक्ष को उन सभी मामलों में पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों शक्तियाँ होंगी जो परियोजना के सफल तथा कुशल कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हैं। तथापि वह इन शक्तियों को सोसाइटी के अन्य सदस्यों/प्राधिकारों/पदाधिकारियों तथा प्रशासनिक इकाई को प्रत्यायोजित कर सकता/सकती है।

18. सोसाइटी की कार्यवाही :–

(क) सोसाइटी के सामान्य निकाय की बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय, तिथि एवं स्थल पर आयोजित की जायेगी। बैठक एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो बार होगी।

(ख) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर सामान्य निकाय की सभी बैठकें या तो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित सूचना के माध्यम से आहूत की जायेंगी, परन्तु बैठक को आहूत करने के निमित्त सभी सदस्यों को एक लिखित सूचना निर्धारित तिथि के न्यूनतम दस दिन पहले अवश्य निर्गत हो जानी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में सोसाइटी का अध्यक्ष सामान्य निकाय की बैठक अल्पतर अवधि की सूचना देकर बुलाने को कह सकता है।

समय–समय पर संशोधित करना।

(छ) किसी भी प्रकार के अनुदान, कोष अथवा दान, प्रतिभूति अथवा किसी प्रकार की सम्पत्ति स्वीकार करने का निर्णय लेना एवं सोसाइटी अथवा परियोजना के उद्देश्यों के अप्रतिकूल किसी भी अभिदान के प्रबंधन का भार लेना एवं स्वीकार करना।

(ज) क्रय, लीज, किराये, विनिमय अथवा अन्य रीति से अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना एवं सोसाइटी तथा परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यथावश्यक किसी भवन अथवा भवनों को रूपान्तरित करना एवं संधारित करना।

(झ) कार्यकारिणी समिति को अथवा किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं प्राधिकारों में से किसी को ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना तथा ऐसे कर्त्तव्यों का दायित्व देना जिन्हें वह उचित समझे।

(ञ) सोसाइटी के वार्षिक अंकेक्षित लेखा सहित वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित करना।

(ट) ऐसी सभी गतिविधियाँ हाथ में लेना तथा ऐसी समितियाँ/नियत कार्य समूह का गठन करना जो सोसाइटी एवं परियोजना के उद्देश्यों को साधने के लिए आवश्यक अथवा प्रासंगिक प्रतीत हों।

(ठ) यदि उचित समझा जाए तो कार्यकारिणी समिति को प्राधिकृत सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

17. सोसाइटी के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ:

सोसाइटी के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ हैं:–

(क) सामान्य निकाय की बैठक बुलाना।

(ख) सामान्य निकाय की अध्यक्षता करना।

(ग) निकाय के सदस्य द्वारा त्याग पत्र समर्पित होने पर उस को स्वीकार करना।

(घ) सोसाइटी द्वारा संबल–प्राप्त परियोजना के सभी पहलुओं की समीक्षा करना।

(ङ) सोसाइटी के अध्यक्ष को उन सभी मामलों में पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों शक्तियाँ होंगी जो परियोजना के सफल तथा कुशल कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हैं। तथापि वह इन शक्तियों को सोसाइटी के अन्य सदस्यों/प्राधिकारों/पदाधिकारियों तथा प्रशासनिक इकाई को प्रत्यायोजित कर सकता/सकती है।

18. सोसाइटी की कार्यवाही :–

(क) सोसाइटी के सामान्य निकाय की बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय, तिथि एवं स्थल पर आयोजित की जायेगी। बैठक एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो बार होगी।

(ख) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर सामान्य निकाय की सभी बैठकें या तो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित सूचना के माध्यम से आहूत की जायेंगी, परन्तु बैठक को आहूत करने के निमित्त सभी सदस्यों को एक लिखित सूचना निर्धारित तिथि के न्यूनतम दस दिन पहले अवश्य निर्गत हो जानी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में सोसाइटी का अध्यक्ष सामान्य निकाय की बैठक अल्पतर अवधि की सूचना देकर बुलाने को कह सकता है।

20. सदस्यों का कार्यकालः

नामित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्षों की अवधि का होगा। ऐसे सदस्य पुनर्मनोनयन के लिए योग्य होंगे। इस प्रकार नामित सदस्य उस तिथि से सदस्य बन जायेगा जिस तिथि को इस आशय का प्रमाणीकृत संसूचन निर्गत किया गया है कि वह व्यक्ति कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में नामित हुआ है।

21. सदस्यता की समाप्ति :

कार्यकारिणी समिति के सदस्य इसके सदस्य नहीं रह जायेंगे यदि वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं अथवा त्यागपत्र दे देते हैं अथवा पागल हो जाते हैं अथवा दिवालिया हो जाते हैं अथवा नैतिक भ्रष्टता के किसी दंडनीय अपराध के लिए दंडित हो जाते हैं।

22. सदस्यता से त्यागपत्र :

कार्यकारिणी समिति की सदस्यता से दिया गया त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपा जायेगा एवं यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक इसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है।

23. नामित श्रेणी में समय–पूर्व रिक्तियाँ :

(क) कार्यकारिणी समिति की नामित श्रेणी की सदस्यता में त्याग पत्र देने अथवा अन्य कारण से उत्पन्न किसी समय–पूर्व रिक्ति को इस प्रकार के मनोनयन के लिए सक्षम प्राधिकार के मनोनयन द्वारा भरा जायेगा एवं इस प्रकार नामित व्यक्ति समय–पूर्व समाप्त सदस्यता के कार्यकाल की शेष बची अवधि के लिए ही पद धारण करेंगे।

(ख) इसके बावजूद कि कोई व्यक्ति अपने पद के कारणस्वरूप सदस्य होने के योग्य है परन्तु वर्त्तमान में कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं है तथा इसके बावजूद कि समिति में नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा नियुक्ति नहीं करने के कारण अथवा अन्यथा कोई अन्य रिक्ति अस्तित्व में है, कार्यकारिणी समिति का कोई भी कृत्य अथवा कार्यवाही मात्र ऊपर वर्णित किसी स्थिति अथवा किसी सदस्य की नियुक्ति में त्रुटि के होने के कारण अमान्य नहीं की जायेगी।

24. कार्यकारिणी समिति के कृत्य :

कार्यकारिणी समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सोसाइटी एवं परियोजनाओं के उद्देश्यों को पाने की चेष्टा एवं सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन अपने सभी कृत्यों का निष्पादन करे। वह सुनिश्चित करेगी कि निधि प्रदायी एजेन्सियों के द्वारा प्रायोजित एवं निधि प्रदान की गयी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति एवं एतदर्थ आवश्यकताओं के विषय में दिए गए मंतव्यों पर सोसाइटी विचार करे।

25. कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ :

कार्यकारिणी समितिः—

i. सोसाइटी के सामान्य निकाय एवं जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेगी,

ii. क्रियान्वयन के पूर्व सभी परियोजनाओं/स्कीमों, भौतिक (वार्षिक) एवं वित्तीय योजनाओं, सोसाइटी की सभी प्रस्तावित प्राप्तियों एवं भुगतान सहित, पर जल संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के माध्यम से राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगी,

iii. राज्य सरकार की वित्तीय एवं लेखा प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी,

iv. सोसाइटी के संचालन के लिए समग्र मार्गदर्शन एवं निर्देश उपलब्ध करायेगी,

v. परियोजना की कार्यनिष्पत्ति की समीक्षा करेगी एवं सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक गतिविधियाँ हाथ में लेगी,

vi. के पास इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के निमित्त अन्य सार्वजनिक अथवा निजी संगठनों अथवा व्यक्तियों के साथ समझौता करने के लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति के पश्चात् अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति होगी।

vii. के पास पारस्परिक रूप से सहमत हुए उपबन्धों एवं शर्त्तों पर अभिदान, अनुदान एवं दान को प्राप्त करने एवं स्वीकार करने के विषय में राज्य सरकार की पूर्वानुमति के पश्चात् अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति होगी बशर्त्ते कि इस अभिदान, अनुदान एवं दान की शर्त्तें सोसाइटी के उद्देश्यों अथवा इन नियमों के प्रावधानों से असंगत अथवा विरुद्ध नहीं होंगी,

viii. के पास सरकार एवं अन्य सार्वजनिक निकायों से संलग्न दायित्वों एवं प्रतिबद्धताओं सहित उन चल सम्पत्तियों अथवा अन्य निधियों को क्रय करने अथवा अन्यथा हस्तगत करने एवं अधिग्रहण करने की शक्ति होगी जो सोसाइटी के उद्देश्यों अथवा इन नियमों के प्रावधानों से असंगत न हो,

ix. के पास सोसाइटी की किसी भी चल सम्पत्ति का विक्रय करने अथवा उसे लीज पर देने की शक्ति होगी बशर्त्ते कि सरकारी अनुदानों से सृजित सोसाइटी की कोई भी परिसम्पदा बिना सरकार की पूर्वानुमति के उन उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए, जिनके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था, निपटाई, भारग्रस्त बनाई अथवा उपयोग में नहीं लाई जायेगी,

x. के पास जल संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए संकल्प के माध्यम से स्थायी/तदर्थ समितियाँ अथवा नियत कार्यबल/समूह आदि गठित करने एवं इनकी सदस्यता, शक्तियों, कृत्यों एवं दायित्वों के विषय में निर्णय लेने की शक्ति होगी,

xi. के पास संकल्प के माध्यम से उन प्रयोजनों के लिए एवं उन प्रयोजनों के साथ एवं उन शक्तियों से युक्त परामर्शी बोर्डों अथवा विशेष समितियों की नियुक्ति की शक्ति होगी, जिन्हें कार्यकारिणी समिति

अभिनव

उपयुक्त समझती है तथा ऐसी समिति अथवा बोर्ड को किसी भी समय भंग करने की भी शक्ति होगी,

xii. के पास अध्यक्ष, संयोजक सदस्य अथवा अपने किसी भी सदस्य तथा/अथवा समिति/समूह अथवा परियोजना के किसी पदाधिकारी को ऐसे कर्त्तव्य प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी, जिन्हें यह उपयुक्त समझती है एवं इस प्रकार सौंपे गये कर्त्तव्य वाले सदस्य/समिति/समूह/पदाधिकारी को उन सीमाओं को निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी जिनके भीतर उनके द्वारा इन शक्तियों अथवा कर्त्तव्यों का प्रयोग अथवा निष्पादन किया जायेगा,

26. कार्यकारिणी समिति (का॰स॰) की कार्यवाही :

i. कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा एवं उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

ii. कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक में गणपूर्त्ति कार्यकारिणी समिति के एक तिहाई सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति से होगी, किन्तु किसी स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

iii. कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम सात दिनों की सूचना दी जायेगी, परन्तुः

(क) अध्यक्ष कोई आपात बैठक 24 घंटे की सूचना पर बुला सकता है,

(ख) बैठक की सूचना देने में बिना जानबूझ के हुई चूक अथवा किसी सदस्य द्वारा सूचना के प्राप्त नहीं करने के फलस्वरूप वह बैठक अथवा अन्य कोई बैठक अवैध नहीं हो जायेगी।

iv. कार्यकारिणी समिति की बैठक आहूत करने की प्रत्येक सूचना में उस तिथि, समय एवं स्थल का उल्लेख होगा जिस पर यह बैठक आयोजित होगी तथा इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह उपाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से निर्गत होगी।

v. कार्यकारिणी समिति जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार किन्तु वर्ष में न्यूनतम तीन बार अपनी बैठक करेगी।

vi. अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य के पास एक ही मत होगा तथा यदि कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णीत होने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर–बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत भी होगा।

अतिरिक्त निर्णायक मत भी होगा।

27. कार्यकारिणी समिति (का॰स॰) का अध्यक्षः:

प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार कार्यकारिणी समिति के प्रमुख होंगे। अध्यक्ष--

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि सोसाइटी के कार्य कारगर ढंग से एवं परियोजना तथा सोसाइटी के समझौता ज्ञापन, नियमों, विनियमों एवं उपविधियों के अनुसार चल रहे हैं।

(ख) कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक किसी भी समय स्वयं अथवा अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखित माँग--पत्र के माध्यम से उपाध्यक्ष को कह कर आहूत करा सकता है।

(ग) यदि किसी विषयविशेष पर डाले गये मत पक्ष--विपक्ष में बराबर--बराबर हो जाते हैं तो अपना निर्णायक मत डाल सकता है।

(घ) कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों में किसी सदस्य द्वारा डाले गये मत की वैधता के विषय में निर्णय देने के लिए एकमात्र एवं सम्पूर्ण प्राधिकार होगा।

(ङ॰) कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करने का अधिकार होगा, परन्तु इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति को मतदान करने की कोई शक्ति नहीं होगी।

(च) कतिपय स्थितियों में अल्प सूचना पर कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक बुलाने के लिए उपाध्यक्ष को निर्देश दे सकता है।

(छ) उपाध्यक्ष को ऐसे कृत्य एवं शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

(ज) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं उसे विधिवत् प्रत्यायोजित की गयी शक्तियों का भी स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग करेगा।

28. (i) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (मु॰का॰प॰), झारवॉटर

i. झारवॉटर की निधि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगा,

ii. झारवॉटर के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे,

iii. के पास किसी स्कीम/परियोजना के रू॰ 25.00 लाख की सीमा तक के कार्यों अथवा उसके स्तर के पदाधिकारी के लिए सरकार द्वारा समय--समय पर निर्णीत सीमा तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति होगी,

iv. योजना निर्माण, लाभुकों की पहचान, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं विकास परियोजनाओं/स्कीमों से सम्बद्ध अन्य विषयों से संबंधित निर्णय लेगा,

v. झारवॉटर की कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों की पहचान करेगा एवं उन्हें पैनलबद्ध करेगा।

vi. कार्यकारिणी समिति की सहमति से एजेन्सियों को अध्ययन, सर्वेक्षण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अन्य कार्य के निमित्त उत्तरदायित्व सौंपने से संबंधित सभी कार्यादेश, समझौते संविदाएँ, विक्रयपत्र एवं सेवा समझौते क्रियान्वित करेगा।

vii. झारखण्ड राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर की सरकारी यात्राएँ स्वीकृत करेगा एवं झारवॉटर के पदाधिकारियों को विशेष मामलों में उच्चतर श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति देगा एवं एतदर्थ अग्रिम प्रदान करेगा,

viii. वाहनों, आवासों एवं भंडार तथा कार्यालय के लिए भवनों का किराया प्रभार्य निश्चित करेगा, एवं झारवॉटर के सामान्य निकाय के अनुमोदनानुसार बजट की स्वीकृति देगा,

ix. झारवॉटर के सामान्य निकाय अथवा प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रत्यायोजित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा,

x. झारवॉटर की कार्यकारिणी समिति की सहमति से राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, झारवॉटर को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करेगा,

xi. प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के समग्र नियंत्रण के अधीन सभी स्कीमों/परियोजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं को कार्यान्वित/सुगम बनाने का कार्य करेगा,

xii. परिप्रेक्ष्य–लेख, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करेगा तथा जब कभी आवश्यकता हो तो समुदायों, विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा, एवं अन्य विभागों के साथ बातचीत समेत स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समन्वय पदाधिकारी होगा,

xiii. परियोजनाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगा,

xiv. विभिन्न एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वित हो रहे कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए क्षेत्र निरीक्षण करेगा,

xv. सोसाइटी के उपविधियों द्वारा अपेक्षित सामान्य निकाय की बैठक, कार्यकारिणी समिति की बैठक एवं अन्य समीक्षा बैठकें आहूत करेगा,

xvi. जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार एवं अन्य हितधारकों को नियमित अन्तरालों पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का ससमय प्रतिवेदन दिया जाना सुनिश्चित करेगा,

xvii. जब कभी अपेक्षित हो, मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं क्षेत्र भ्रमण के प्रतिवेदन समर्पित करेगा,

xviii. झारवॉटर की समग्र कार्यनिष्पत्ति को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा,

xix. झारवॉटर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए झारवॉटर के सामान्य निकाय एवं जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किसी अतिरिक्त कार्य/नियतकार्य/उत्तरदायित्व को क्रियान्वित करेगा।

28. (ii) राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक

i. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक सोसाइटी के दैनान्दिन कार्यो के समुचित प्रशासन एवं निधि प्रवाह/वित्तीय संचालनों तथा इसकी भिन्न–भिन्न गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा। अपने कृत्यों के कारगर निर्वहन हेतु उसे निम्न शक्तियाँ होंगी–

ii. सोसाइटी के सामान्य निकाय एवं इसकी कार्यकारिणी समिति की बैठकों की व्यवस्था करना एवं इन बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना तथा तदनुसार कारवाई करने के लिए उत्तरदायी होना;

iii. सोसाइटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के निमित्त कार्यकारिणी समिति अथवा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करना;

iv. यथावश्यक पर्यवेक्षण करना एवं अनुशासनिक नियंत्रण रखना, प्रमंडलीय एवं अन्य निम्नतर स्तरों पर स्थापित शाखाओं तथा इकाइयों समेत सोसाइटी एवं परियोजना की गतिविधियों का समन्वयन करना एवं उन का सामान्य पर्यवेक्षण करना;

v. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सहमति से मार्ग निर्देशों के अनुसार परामर्शियों एवं कर्मचारीवृन्द की सेवाएँ भाड़े पर लेना तथा अध्ययनों के लिए कार्य आदेश देना;

29. प्रमंडलस्तरीय प्रबन्धन संरचना:

झारखण्ड के सभी पाँच प्रमंडलों में जहाँ परियोजना का कार्यान्वयन होगा प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (प्र॰का॰प्र॰इ॰) नामक झारवॉटर की प्रमंडलीय इकाई स्थापित की जायेगी। प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के प्रमुख एक प्रमंडलीय कार्यक्रम प्रबंधक (प्र॰का॰प्र॰) होंगे एवं इन्हें इकाई को प्रत्यायोजित सुपरिभाषित शक्तियाँ होंगी।

नोट :– फिलहाल वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में कंडिका–29 पर कार्रवाई स्थगित।

30. सोसाइटी की निधियाँ

सोसाइटी की निधियाँ निम्नलिखित होंगी:

- केन्द्र अथवा राज्य सरकार का सहायता अनुदान।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आदि प्रभृति दाता एजेन्सियों सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त योगदान।
- सोसाइटी की परिसम्पदाओं से आय।
- यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी बाह्य एजेन्सी से प्राप्त किसी भी प्रकार का अनुदान, दान, ऋण अथवा सहायता।
- सारी निधियाँ सोसाइटी के बैंक खाते में डाली जायेंगी एवं चेक छोड़कर अन्य रीति से इनकी निकासी नहीं की जायेगी।
- सोसाइटी के खाते से भुगतान अथवा व्ययन की विधि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, धनादेश से अथवा वित्तीय नियमों द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति के माध्यम से होगी।

31. लेखा एवं लेखा परीक्षा :

(क) सोसाइटी समुचित लेखा एवं अन्य संगत अभिलेख संधारित करेगी तथा सोसाइटी रजीस्ट्रीकरण अधिनियम–21,1860 के अधीन प्रवृत्त नियमों के अनुसार राज्य सरकार के निबन्धक, सोसाइटीज द्वारा विहित किए गए प्रपत्र में प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा तथा दायित्वों के विवरण से युक्त वार्षिक लेखा तैयार करेगी बशर्ते कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों अथवा निधियों के मामले में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के निर्देशों का अनुसरण किया जायेगा।

(ख) सोसाइटी के लेखे की लेखा परीक्षा वार्षिक रूप से एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा सोसाइटी रजीस्ट्रीकरण अधिनियम–21,1860 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(ग) संपरीक्षित लेखा को सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति को प्रेषित कर दिया जायेगा, जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को समर्पित करेगी।

(घ) सोसाइटी का लेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्त्तें) अधिनियम–1971, समय–समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अधीन होगा।

(ङ.) महानिबंधक, निबंधन की अपेक्षा पर सोसाइटी के लेखे की लेखा परीक्षा किसी भी समय की जा सकती है एवं ऐसी लेखा परीक्षा पर होने वाले व्यय का भुगतान सोसाइटी द्वारा किया जायेगा।

32. वार्षिक प्रतिवेदन :

सोसाइटी के कार्यकलाप एवं एक वर्ष में इसके द्वारा हाथ में लिए गए कार्यों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन तुलनात्मक (बैलेंसशीट), संपरीक्षित लेखा एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ तैयार किया जायेगा तथा इसे प्रत्येक वर्ष कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। सोसाइटी के अनुमोदन के उपरान्त इसे संबंधित कार्यालयों एवं विभागों को प्रेषित कर दिया जायेगा।

33. संशोधन :

i. इन नियमों में संशोधन सोसाइटी के सामान्य निकाय द्वारा उपस्थित एवं मत प्रयोग करने वाले सदस्यों में से न्यूनतम आधे के बहुमत से किया जायेगा। परन्तु सभी संशोधन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम –21,1860 के नियमों के अनुसार उनके निबंधन के उपरान्त ही लागू होंगे।

ii. सोसाइटी राज्य सरकार की सहमति से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–21,1860 के प्रावधानों के अनुरूप इसकी स्थापना के उद्देश्य में परिवर्तन ला सकती है, इसका विस्तार कर सकती है अथवा उसे संक्षिप्त कर सकती है, अथवा परियोजनाओं को पूर्णतः अथवा अंशतः किसी दूसरी सोसाइटी के साथ विलय कर सकती है।

iii. मंत्रालयों, विभागों अथवा संस्था(ओं) एवं पदनाम(मों) के नाम में जब कभी कोई परिवर्त्तन होता है तो वह परिवर्तन इन नियमों में स्वतः समाविष्ट हो जायेगा।

iv. यदि सोसाइटी को भंग करने की आवश्यकता हो तो इसे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–21,1860 में विहित प्रावधानों के अनुसार भंग कर दिया जायेगा।

v. यदि सोसाइटी के विघटन के पश्चात् सभी ऋणों एवं दायित्वों के निस्तार के उपरान्त किसी भी प्रकार की सम्पति रह जायेगी तो उसका भुगतान अथवा वितरण सोसाइटी के सदस्यों के बीच अथवा उनमें से किसी एक को नहीं किया जायेगा, अपितु यह राज्य सरकार में निहित हो जायेगी जो इसके उपयोग के संबंध में निर्णय लेगी।

34. जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग होगा एवं सोसाइटी के कृत्यों तथा इसके द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होगा।

नियमों एवं विनियमों में निम्नांकित विषयों पर प्रावधान होंगे:

i. बजट का निर्माण, क्रय–प्रक्रियाएँ, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, निधि–निवेश, लेखा एवं लेखा परीक्षा का निर्धारण इत्यादि समेत महत्त्वपूर्ण वित्तीय पहलू, एवं

ii. अन्य सभी ऐसे विषय, जो उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा सोसाइटी के कार्यों के समुचित प्रशासन हेतु आवश्यक हो सकते हैं। परन्तु:

(क) प्रबन्धकीय संरचना में ऐसे कर्मचारिवृन्द नहीं नियुक्त किए जायेंगे जो राज्य सरकार पर स्थायी दायित्व सिद्ध हो सकते हैं।

(ख) जब तक सोसाइटी अपने नियमों एवं विनियमों के बना नहीं लेती है तब तक ऐसे सभी विषयों में अध्यक्ष/कार्यकारिणी समिति के निर्णयों का पालन किया जायेगा।

(ग) वित्तीय औचित्य एवं समझदारी को ध्यान में रखा जायेगा।

36. हम, अनेक व्यक्ति जिनके नाम, पते, व्यवसाय एवं हस्ताक्षर नीचे वर्णित हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम –1860 (1860 का XXI) के संगम–अनुच्छेद एवं समझौता ज्ञापन से सहमति रखते हैं।

क्रम	सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार	अध्यक्ष	
2.	प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	उपाध्यक्ष	
3.	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य	
4.	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि एवं गन्ना विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य	
5.	प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण, झारखण्ड सरकार	सदस्य	
6.	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य	
7.	विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारवॉटर, झारखण्ड सरकार	सदस्य सचिव	
8.	अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य	
9.	अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य	
10.	निदेशक, झारखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, झारखण्ड सरकार	सदस्य	
11.	मुख्य अभियंता, योजना एवं अनुश्रवण, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	सदस्य	

Article of Association & Memorandum of Understanding Jharkhand State Water Resource Development Society (JHARWATER)

1. **Name of Society:** JHARKHAND STATE WATER RESOURCE DEVELOPMENT SOCIETY (JHARWATER)

2. **Registered Office:** The registered office of the society shall be situated temporarily at Water Resource Department, Nepal House, Doranda, Ranchi – 834002

3. **Area of Operation** : Jharkhand

4. **Objectives** : Whereas it is considered necessary to set up an autonomous organization called JHARKHAND STATE WATER RESOURCE DEVELOPMENT SOCIETY (JHARWATER) for promotion, coordination, implementation, monitoring and evaluation of water resource development programs/projects/schemes in the state under administrative control of Water Resource Department, Government of Jharkhand. It is now decided that the JHARWATER (here in called as "Society") should be established as a society registered under the Societies Registration Act, XXI, 1860 to function in accordance with the regulations appended here to in furtherance of the following objectives:

   i. Awareness generation of community / farmers about water, its harvesting and conservation mechanism and facilitate their participation in the entire process.

   ii. Promotion of Water User Association (WUA) and their federated bodies in majority of villages to take part in command area development, check dams, lift irrigation, other water utilization and conservation planning, implementation, monitoring, operation and future maintenance.

   iii. De-centralized rain water harvesting and conservation on rivulets / stream/ small rivers through construction of various structures[1] on it, significant reduction in the runoff from the state.

   iv. Enhancing the ground water table/ status in deficit regions by taking appropriate measures.

   v. Rejuvenating old existing water bodies and minor irrigation infrastructures through Repair, Rejuvenation and Restoration (RRR) Project of Govt of India, or Accelerated Irrigation Benefit Program (AIBP) or other similar projects.

[1] *Boulder Check dam, Earten check dam, Masonry check dam , others*

vi. Enhancing the per unit value of water in irrigation and domestic sectors and bringing water use efficiency.

vii. Orchestration of stakeholders (Non Governmental organizations, research and resources institutions, etc.) for working and contributing in water sector in Jharkhand.

5. Date of Commencement : These rules shall come into the force from the date on which the JHARKHAND STATE WATER RESOURCE DEVELOPMENT SOCIETY (JHARWATER) is registered under Societies Registration Act, XXI, 1860.

6. Definitions :

Chair Person: - shall mean the Chair Person of the General Body of the Society.

Chartered Accountant: - shall mean chartered accountant as defined under Chartered Accountants Act 1949.

Chief Executive Officer: - shall mean the Chief Executive Officer of the Society.

Executive Committee (EC): - shall mean the body, which is constituted as the Executive Committee of the Society.

General Body (GB): - shall mean the body, which is constituted as the General Body of the Society.

GoI: - shall mean the concerned Ministries and the concerned Department of Government of India.

GoJ: - shall mean the Government of Jharkhand.

NGO: - shall mean a non-governmental organization.

Officers and Staff: - shall mean all full-time and part-time employees of the Society duly appointed by authority or officer, duly empowered to do so, and would include consultants, fellow and research staff, if any.

Society: - shall mean Jharkhand State Water Resource Development Society (JHARWATER)

State Program Manager: - shall mean the Program Manager of the Society.

7. Management:

The Operation and Management of the society, as per its aims and objectives, shall be carried out by the General Body of the Society. The society shall undertake or delegate to its staff, all such activities that are necessary for the fulfillment of envisaged objectives of the society.

175

8. General Body of the Society:

The societies' General Body comprises of following members:

Sl	Name of members	Post
1	Development Commissioner, Government of Jharkhand	Chair Person
2	Principal Secretary /Secretary, Water Resource Development, Government of Jharkhand	Vice chair Person
3	Principal Secretary /Secretary, Rural development Department, Government of Jharkhand	Member
4	Principal Secretary /Secretary, Agriculture and Cane development, Government of Jharkhand	Member
5	Principal Secretary /Secretary, Forest and Environment, Government of Jharkhand	Member
6	Principal Secretary /Secretary, Welfare, Government of Jharkhand	Member
7	Principal Secretary /Secretary, Finance, Government of Jharkhand	Member
8	Principal Secretary / Secretary, Revenue & Land Reform department, Government of Jharkhand	Member
9	Special Secretary, Water Resource Department cum Chief Executive Officer, JHARWATER, Government of Jharkhand	Member Secretary
10	Engineer in Chief (I & II), Water Resource Development, Government of Jharkhand.	Member
11	Chief General Manager, NABARD, Ranchi	Member
12	Director, Jharkhand Space Application Centre (JSAC), Government of Jharkhand	Member
13	Director, Central Water Commission (CWC), Ranchi	Member
14 & 15	Head of the Department, Civil Engineering, BIT Mesra & BIT Sindri	Member
16 &17	Two representative from Non Governmental Organization (to be nominated by chair person of General body of the society)	Member
18	Convener, State level Bankers' Committee (SLBC), Ranchi	Member

Note: *The Chair Person may invite any special invitee in General Body meeting of the society.*

9. Terms of Members:

a. The members of the General Body of society including the Chairperson shall continue to be Members, so long as they continue to hold office and shall cease to be members as soon as they cease to hold such office. The successor in office of the person so ceasing to be a Member shall become member from the date of his/her assuming charge of the new office, subject to the conditions about the term of membership.

b. In the event of any office held by such member of the General Body being abolished or differently designated or in the event of any doubt as to whether a particular person holds a particular office or not, a duly authenticated communication from Water Resource Department, Government of Jharkhand to the Project conveying the decision of the Government as to the successor in office or as to the incumbent holding the office shall be final and conclusive.

10. Term of Nominated members:

The term of the nominated member would be at pleasure of the Chair Person of the Society and shall ordinarily be till the life span of Project and would be nominated by the Chair Person of the Society.

11. Termination of Membership: Members of the General Body shall cease to be such members if they retire or resign or become of unsound mind, or are insolvent or are convicted of a criminal offence involving moral turpitude.

12. Resignation from Membership: Resignation from the membership of the General Body of the Society shall be tendered to the Chairperson and shall not take effect until it is accepted by the Chairperson.

13. Pre mature vacancies in the Nominated Category: Any vacancy in the membership of the nominated category of the General Body occurring pre maturely due to resignation or otherwisa shall be filled by nomination by the authority competent to make such nomination, and the persons so nominated shall hold office only for the un expired period of the term of the pre maturely terminated membership.

14. The Society, and through it the Project, shall function notwithstanding the fact that any person who is otherwise entitled to be a member by reason of her/his office, is not a member of the General Body for the time being, and also notwithstanding the fact of any other vacancy either due to non-appointment or otherwise. Further, no act of the Society or the Project shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the above events or any defect, procedural or otherwise, in the appointment of any of the members of the General Body.

15. Functions of the General Body: To achieve the objectives of the society; the General body shall: -

a. Provide overall strategic guidance and direction for efficient functioning of the Society and shall be instrumental in bringing about relevant changes that may be necessary for the support of Project and other projects assigned to it by the State Government.

b. Review Project performance and secure active involvement and participation of institutions, non-governmental organization, voluntary agencies and individuals committed to Water Resource Development and approve necessary financial assistance to them.

c. Bring about effective decentralization in basic planning for water conservation and management by involvement of the people through a process of training and awareness building and creation and /or utilization of structures formally or otherwise.

d. Secure constructive and participatory involvement of local people and grass root leadership for the achievement of Project's objectives and for this purpose establish and/or utilize formal as well as informal structures.

e. Consider and approve the balance sheet and annual audited accounts of the Society.

f. Consider the annual report and ratify budgets.

g. Consider evaluation and special reports commissioned by Project administration.

h. Ensure that the Society considers any comments made by funding agencies on the progress and requirement in the implementation of Project sponsored and funded by them.

i. Advice to organize conferences, symposia, workshop etc. on matter related to the Society and to Project.

16. Powers of General Body: The General body shall have powers to: -

a. Undertake all activities necessary for the fulfillment of the objective of the Society.

b. Expand/modify the strength of its membership.

c. Add, modify or amend the Memorandum and Articles of Association and these bye laws; provided that all such additions, modifications or amendments shall be aimed at promoting the objectives of the Society.

d. Create duly empowered administrative mechanisms through such participation as may be deemed necessary, of various departments and agencies of Central and State Government and other organizations for the achievement of the objectives of the Society.

e. Create academic, technical, administrative, managerial, training and other posts in Project and/or within the Society.

f. Ratify rules and regulations for conduct of the affairs of the Society and to amend them from time to time.

g. Take decision to accept grant, fund or donation, securities or property of any kind and under take and accept the management of any endowment, not inconsistence with the objectives of Society or project.

h. Acquire movable property by purchase, lease, hire, exchange or otherwise and to alter, maintain any building or buildings as may be necessary for carrying out the objectives of the Society and of Project.

i. Delegate to the Executive Committee or to any of the officers and authority of the Society such powers and impose such duties as it deems proper.

j. Approve the annual report including annual audited accounts of the Society.

k. Undertake all such activities, form such committees/task groups as may appear necessary or incidental for the achievement of the objective of the Society and of the Project.

l. Exercise all the powers as deemed fit designated to the Executive Committee.

17. Functions and Powers of the Chair Person of the Society: The Functions and Powers of the Chairperson of the Society are: -

a. To call meetings of the General Body.

b. To preside over the General Body.

c. To accept resignation of a member of either body when offered.

d. To review all the aspects of the Project being supported by the Society.

e. The Chair person of the Society will have full powers both administrative as well as financial in all the matters, which are required for successful and efficient implementation of Project. However, he or she can further delegate the powers to other members/authorities/officers of the Society as well as to the administrative unit.

18. Proceeding of the Society:

a. Meeting of the General Body of the Society shall be held at such time, date and place as may be determined by the Chair Person. Meeting shall be held at least twice in a financial year.

b. Except as otherwise provided in these Rules, all meetings of the General Body shall be called to notice under the signature of either the Chair person or the Vice Chair person. However, for calling a meeting, a written notice must be dispatched to every member at least ten days before the due date. Under special circumstances, the Chair Person of the Society can ask to call the meeting of the General Body by giving a shorter notice.

c. Meeting of the General Body of the Society shall be presided over by the Chair Person, and in his/her absence, by the Vice Chair Person.

d. One third of the members of the General Body of the Society present in person shall form the quorum at every meeting, provided that no quorum shall be necessary in respect of an adjourned meeting.

e. All disputed question at meetings of the Society shall be determined by vote and in case of equality of votes, the person chairing the meeting shall have the casting vote.

19. The Executive Committee shall comprise of the following:

The Societies' Executive Committee comprises of following members:

Sl. No.	Name	Designation
1	Principal Secretary/Secretary, Water Resource Department, Govt. of Jharkhand	Chair Person
2	Special Secretary cum Chief Executive Officer JHARWATER, Water Resource Department, Govt. of Jharkhand	Vice Chair Person
3	Engineer in Chief (I & II), Water Resource Department, Govt. of Jharkhand	Member
4	Chief Executive Officer, State Level Nodal Agency, Rural Development Department, Govt. of Jharkhand	Member
5	Representative of Finance Department, Govt. of Jharkhand	Member
6	Representative from Forest department, Govt. of Jharkhand	Member
7	Representative from Revenue & Land Reform department, Govt. of Jharkhand	Member
8	Director, Jharkhand Space Application Centre, Govt. of Jharkhand	Member
9	Principal Scientist and Head, Horticulture and Agro forestry Research Project, Palandu, Ranchi	Member
10	Chief Engineer, Monitoring, Water Resource Department, Govt. of Jharkhand	Member
11	Director, Central Water Commission, Ranchi	Member
12	Director Agriculture/Horticulture, Govt. of Jharkhand	Member
13	In charge, Revenue Div, Irrigation Department, Govt. of Jharkhand	Member
14	One representative from NGO (to be nominated by Chair person of executive Committee of the society)	Member
15	State Program Manager, JHARWATER, Govt. of Jharkhand	Member Convener

Note: The Chair Person may invite any special invitee in Executive Committee meeting of the society.

20. Term of Members:

The term of nominated members shall be ordinarily, for a period of two years. Such members shall be eligible for re-nomination. A member so nominated shall become such member as from the date of issue of authenticated communication conveying that such person has been nominated as a member of the Executive Committee.

21. Termination of membership:

Members of the Executive Committee shall cease to be such members if they retire or resign or become of unsound mind, or are insolvent or are convicted of criminal offence involving moral turpitude.

22. Resignation from membership:

Resignation from the membership of the Executive Committee shall be tendered to the Chairperson and shall not take effect until it is accepted by the Chairperson.

23. Premature Vacancies in the Nominated Category:

a. Any vacancies in the membership of nominated category of the Executive Committee occurring prematurely, due to resignation or otherwise, shall be filled by nomination by the authority competent to make such nomination, and the person so nominated shall hold office only for the unexpired period of the term of the prematurely terminated memberships.

b. The Executive Committee shall function notwithstanding that any person who is entitled to be a member by reason of his office is not a member of the Executive Committee for the time being and notwithstanding any other vacancy in the Committee, whether on account of non-appointment by the authority entitled to make the appointment or otherwise, and no act or proceedings of the Executive Committee shall be invalidated merely by reason of the happening of any of the above events or defects in the appointment of any of its members.

24. Functions of the Executive Committee:

It shall be the responsibility of the Executive Committee to endeavor to achieve the objects of the Society and of the Project, and to discharge all its functions subject to the Rules and Regulations of the Society. It shall ensure that the Society considers any comments made by funding agencies on the progress and requirement in the implementation of Project sponsored and funded by them.

25. Powers of the Executive Committee:

i. Shall provide policy guidance and direction for functioning of the Society.

ii. Review project performance and undertake activities necessary for fulfillment of objectives of the society [illegible]

iii. Have powers to accord approval for entering into agreements with other public or private organizations or individuals in furtherance of its objectives.

iv. Have powers to accord approval to secure and accept endowments, grants-in-aid, donation to the Society on mutually agreed terms and conditions, provided that conditions of such grants-in-aid, donation shall not be inconsistence or in conflict with the objectives of the Society or with the provisions of these Rules.

v. Have power, to take over and acquire, by purchase or otherwise, from Government, and other public bodies, movable [illegible] properties or other funds together, with any attendant obligations and engagements, not inconsistent with the objectives of the Society or with the provisions of these Rules.

vi. Have power to sell or lease any movable property of the Society provided, however, that [illegible] of the Government, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant was sanctioned.

vii. Have powers, by resolution, to constitute standing / ad hoc committees or task forces/groups, etc. for various areas of water resource development and decide in regard to [illegible] responsibilities.

viii. Have the powers, by resolution, to create Advisory boards or other special committees for such purposes and with such powers as the Executive Committee may think fit, and to dissolve any such committee or board at any time, and

ix. Have the power, to delegate to the Chairperson, Member Convenor or any of its members and/ or to a committee/ group or any officer of Project such duties as it deems proper and also prescribe limitations within which the powers and duties shall be exercised or discharged by the member/ committee/ group/ officer so delegated.

x. Have the powers to hire services of consultants, commission studies as it deems fit in the interest of the society.

xi. Have the powers, to ensure [illegible] tions of Central or state Governments with respect of grants or funds [illegible] Central and State Government

xii. Have the Powers, to ensure [illegible] financial transactions of the Society as per the provisions of [illegible] Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) [illegible] time.

26. Proceedings of the Executive Committee (EC):

i. Meeting of the Executive Committee shall be presided over by the Chair Person, and, in his absence, by the Vice Chair Person.

ii. One third of the members of the Executive Committee present in person shall constitute the quorum at any meeting of the Executive Committee, provided that no quorum shall be necessary in respect of an adjourned meeting.

iii. Not less than seven days notice of every meeting of the Executive Committee shall be given to each member of the Executive Committee provided that:

a. The Chair Person may call any emergency meeting at the notice of even 24 hours.

b. Any inadvertent omission to give notice of the meeting or its non receipt by any member shall not invalidate the proceedings of that or any other meeting.

iv. Every notice calling a meeting of the Executive Committee shall state the date, time and place at which such meeting will be held and shall be, except as otherwise provided in these Rules, issued under the signature of the Vice-Chair Person.

v. The Executive Committee shall meet as often as necessary but at least thrice in a year. Each member of the Executive Committee including the Chair Person shall have one vote and if there shall be equality of votes on any question to be decided by the Executive Committee, the Chair Person shall, in addition, have a casting vote.

27. Chair Person of Executive Committee:

The Principal Secretary/ Secretary, Water Resource Department Government of Jharkhand shall be the head of the Executive Committee. The chair person

a. Shall ensure that affairs of the Society are run efficiently and in accordance with the provisions of project and Memorandum of Association, Rules, Regulations and bye laws of Society.

b. Shall preside over the meeting of the Executive Committee. May himself call, or, by a requisition in writing signed by him, may require the Vice-Chair Person to call a meeting of the Executive Committee at any time.

c. May, in case the votes for and against a particular issue are equal exercise his casting vote.

d. Shall be the sole and absolute authority to judge the validity of the votes cast by any members at all the meetings of the Executive Committee.

f. Shall be entitled to invite any other person to attend the meeting of the Executive Committee, provided that such invited persons shall have no power of vote.

g. May direct the Vice Chair Person to call special meeting of the Executive Committee at a short notice in case of certain situations and [illegible]

h. May delegate to the Vice Chair Person such of these functions and powers as he or she may deem necessary [illegible]

i. In the absence of the Chair Person, the Vice Chair Person shall exercise all the powers vested in the Chair Person and shall also exercise independently powers duly delegated to [illegible]

28. (I) Chief Executive Officer (CEO) of JHARWATER

i. Shall be Drawing and Disbursement Officer for the fund of JHARWATER [illegible] The officers and staff of the JHARWATER shall be under the administrative control of [illegible]

ii. [illegible] the power [illegible] time / [illegible]

iii. Shall take decisions pertaining to planning, boundary identification, implementation, monitoring and other related issues of developmental projects / [illegible] approval in [illegible]

iv. Shall identify and empanel project implementation agencies after taking approval in Executive Committee of JHARWATER.

v. [illegible]

vi. Shall execute all work order, agreements, contracts, deed, instruments and similar agreements pertaining to assigning responsibilities to agencies for study, survey, project formulation, implementation, monitoring, evaluation and other works with the consent of Executive Committee.

vii. Shall sanction official tour within state of Jharkhand and outside the state permit officers of JHARWATER to travel higher classes of accommodation in special cases and grant advance for the same.

viii. Shall fix hiring charges [illegible] accommodation, houses for stores and office purpose and to sanction the [illegible] with the approval of General Body of Jharwater.

ix. Shall exercise all powers, delegated by the General Body of JHARWATER or by Principal Secretary / Secretary, Water Resource Development, Government of Jharkhand.

x. Shall [illegible] powers to [illegible] Manager, Jharwater with the consent of Executive Committee of JHARWATER.

xi. Shall implement / facilitate implementation of all schemes / projects / annual plans of JHARWATER under the overall control of Principal Secretary / Secretary, Water Resource Department, Government of Jharkhand;

xii. Shall prepare perspective, annual action plans and budgets and ensure participation of communities, various departmental officers and other relevant stakeholder as and when required and shall be the coordinating officer for the implementation of schemes/projects including convergence with other departments;

xiii. Shall review, monitor the progress of projects/ programs/ schemes;

xiv. Shall conduct field inspection to oversee the work being executed by various agencies;

xv. Shall call General Body meeting, Executive Committees meeting and other related meetings as required by the Bye Laws of the Society;

xvi. Shall ensure timely reporting of physical and financial to the Water Resource Department, Government of Jharkhand and other stakeholders at regular intervals;

xvii. Shall submit evaluation reports, field visit reports whenever required;

xviii. Shall be accountable for [illegible]

xix. Shall execute any additional work/task/responsibility as delegated by the General Body of JHARWATER and Water Resource Development, Government of Jharkhand for meeting the objectives of JHARWATER.

23. (B) State Program Manager

i. The State Program Manager shall be responsible for proper administration of affairs and fund flow/financial operations of the Society and implementation of activities. For the effective discharge of functions, he/she shall have powers to:

ii. Arrange meeting of the General Body of the Society and its Executive Committee and keep a record of the proceedings of these meetings and be responsible for taking action accordingly;

iii. Discharge such other functions as may be assigned to him/her by the Executive Committee or CEO, in furtherance of the objects of the Society.

iv. Exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary; Coordinate and exercise general supervision over the activities of Society and the Project, including branches and units setup at the divisional and other lower levels;

v. Hire services of consultants, staffs and commission studies as per guidelines with CEO's consent.

29. Divisional Level Management Structure:

A divisional unit of JHARWATER, the Divisional Program Management Unit (DPMU), shall be setup in all five divisions of Jharkhand, which the Project will be implemented. The DPMU shall be headed by Divisional Program Manager (DPM) and shall have well-defined powers delegated to it.

Note: As per condition of Finance Department, this clause is being dropped out for the time being.

30. Funds of the Society: The funds of the Society shall consist of the following:

- Grants-in-aid by the Central or State Government
- Contribution from other sources including donor agencies such as United Nations Development Programme, etc.
- Income from the assets of the Society.
- Grant, donation, loan or assistance of any kind from any external agencies with prior approval of the Central Government or the State Government, as the case may be.
- All funds shall be paid into the Society account with the bank, and shall not be withdrawn except through cheques.
- Mode of payment or disbursement of funds from the Society's account may be through cheque, demand draft, money order, or otherwise, as decided by the financial rules.

31. Account and Audit:

a. The Society shall maintain proper accounts and other relevant records, shall prepare annual accounts comprising the Receipts and Payment accounts, statement of liabilities in such form as may be prescribed by the Registrar of Societies of the State Government in accordance with the rules in force under the Societies Registration Act, 21, 1860, subject to the conditions that in respect of grants or funds from the Central and State Government directions of the Central and state Government shall be adhered to.

b. The accounts of the Society shall be audited annually by Chartered Accountant, and in accordance with the provisions of the Societies Registration Act, 21, 1860

c. The audited accounts shall be communicated to the Executive Committee of the Society, which will submit a copy of the Audit Report to the State Government.

d. The accounts of the Society shall also be subject to the provisions of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, as amended from time to time.

e. The accounts of the Society can be audited any time as required by I.G, Registration and the expenditure incurred on such auditing shall be paid by the Society.

32. Annual Report:

The Annual Report on the working of the Society and the work undertaken by it during the year together with the Balance Sheet, Audited Account and Auditor's Report shall be prepared and presented to the Executive Committee of the Society each year. After approval by the Society these shall be submitted to the concerned offices and departments.

33. Amendments:

i. Amendments in the Rules shall be effected by the General body of the Society by a majority of not less than half of the total members present and voting. However, all amendments will be applicable upon their registration as per rules of the Societies Registration Act, 21, 1860.

ii. With the approval of the State Government, the Society may alter, extend or abridge the purpose for which it is established, or amalgamate itself or the Project either wholly or partly with any other Society in accordance with the provisions of the Societies Registration Act 21, 1860.

iii. As and when there is any change in the nomenclature of Ministry, Department/Institution(s) and Designation(s) etc., the same shall automatically stand amended in these rules.

iv. If the Society needs to be dissolved, it shall be dissolved as per provisions laid down in the Societies Registration Act, 21, 1860.

v. In case of dissolution of the Society, there shall remain, after the satisfaction of all debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed amongst the members of the Society or any one of them, but shall accrue to the State Government, which will decide about its utilization.

34. The Department of Water Resource Development, Government of Jharkhand, shall be the administrative department of the State Government and shall be accountable for the functions of Society and programs implemented by it.

35. Rules and Regulations: Rules and Regulations may provide for the following matters:

i. Important financial aspects including formulation of budget, purchase procedures, delegation of financial powers, investment of funds, maintenance of accounts and audit, etc., and

ii. All such other matters as may be necessary for the furtherance of the objects and the proper administration of the affairs of the Society.

President

b. In the management structure, posts which may create permanent liability on the State Government, shall not be appointed.

c. Till such time as the Society formulates its own set of rules and regulations, decisions by the Chairperson/ Executive Committee in all such matters will be carried out.

d. Consideration of financial propriety and prudence shall be kept in view.

We, the several persons whose names, addresses, occupation and signatures, hereunder, are subscribers of Article of Association and Memorandum of Association of JHARWATER under the Societies Registration Act XXI of 1860.

Sl.	Name of members	Designation	Signature
1	Development Commissioner, Govt. of Jharkhand	Chair Person	
2	Principal Secretary /Secretary, Water Resource Department, Govt. of Jharkhand	Vice Chair Person	
3	Principal Secretary /Secretary, Rural Development Department, Govt. of Jharkhand	Member	
4	Principal Secretary /Secretary, Agriculture and Cane development Department, Govt. of Jharkhand	Member	
5	Principal Secretary /Secretary, Forest and Environment, Govt. of Jharkhand	Member	
6	Principal Secretary /Secretary, Finance Department, Govt. of Jharkhand	Member	
7	Special Secretary, Water Resource Department cum Chief Executive Officer JHARWATER, Govt. of Jharkhand	Member Secretary/ CEO	
8	Engineer in Chief (I), Water Resource Department, Govt. of Jharkhand	Member	
9	Engineer in Chief (II), Water Resource Department, Govt. of Jharkhand	Member	
10	Director, Jharkhand Space Application Centre, Govt. of Jharkhand.	Member	
11	Chief Engineer, Planning and Monitoring Water Resource Department, Govt. of Jharkhand.	Member	